

Title: Need to expedite development of National Highway No. 228 declared as a Dandi Heritage route.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि वर्ष 2005 में दांडी मार्ग को ""हेरिटेज रूट"" के रूप में विकसित किया जाएगा। यह वही मार्ग था जिस पर महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। इसी कारण भारत सरकार ने वर्ष 2006 में इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 228 के रूप में मान्यता दी थी।

गुजरात सरकार ने एक वर्ष के अंदर 152 करोड़ रुपये की लागत से इस मार्ग के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया था। भारत सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदाता की परामर्श के अनुसार 2013 करोड़ रुपये की लागत से इसके दूसरे चरण के कार्य को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है (देखें पत्र दिनांक 29.9.2009)। लेकिन आज तक इस महत्वपूर्ण योजना पर विचार नहीं किया गया है।

जून 2011 में कैबिनेट सचिवालय ने यह निर्णय लिया है कि दांडी में प्रधानमंत्री की घोषणा पर अमल करने के उद्देश्य से दांडी अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को डिलिंक कर दिया जाए और सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत इस मुद्दे पर विचार करें।

सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने अहमदाबाद - दांडी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 228) को पुनर्संरक्षण (रियलाइनमेंट) के लिए प्रस्ताव सौंपा (दिनांक 23.11.2012)। गुजरात सरकार को इस पर आपत्ति है क्योंकि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा इस मार्ग को चुने जाने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए इस बारे में गुजरात के तत्कालीन मंत्री और मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर भारत सरकार से मांग की थी कि पहले से संरक्षित मार्ग पर कार्य शुरू किया जाए और इसका पुनर्संरक्षण न किया जाए। इस बारे में गुजरात सरकार की ओर से कई बार लिखित निवेदन भी किया जा चुका है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि पूर्व में संरक्षित मार्ग योजना पर ही अमल किया जाए और इसे नए सिरे से संशोधित और संरक्षित कर कार्य में विलंब न किया जाए।